प्रधानमंत्री आवास योजना-(शहरी)
सबके लिए आवास

PMAY

PRADHAN MANTRI AWAAS YOJANA

प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) में भागीदारी में किफायती आवास घटक के अन्तर्गत सी.एस.सी/ सूडा/डूडा/नगर निगम/नगर पालिका से चयनित पात्र लाभार्थी ही फ्लैट/भवन पंजीकरण हेतु आवेदन कर सकते हैं।

प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत लखनऊ, गोण्डा, सुलतानपुर, बहराइच, उन्नाव, हरदोई, इटावा, मुरादाबाद, गाजियाबाद, मेरठ में जी+3 प्रकार के फ्लैट/भवनों का ऑनलाइन पंजीकरण प्रारम्भ

IS 15700:2005

सेवोत्तम प्रमाणित

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

104, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ

Website : www.upavp.in, E-mail : info@upavp.com, टोल फ्री : 1800-180-5333 जन सुविधा केन्द्र : 0522-2236803

भारतीय मानक ब्यूरो IS 15700

Bureau of Indian Standards SQMS

पंजीकरण शुल्क

अनुमानित क्षेत्रफल एवं धरोहर धनराशि

क्रम सं.	कार्पेट एरिया वर्ग मीटर	सुपर एरिया	प्रति फ्लैट/भवन की कुल लागत रु. लाख में	भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा अनुदान के रूप में दी जाने वाली धनराशि (रुपये में)	पंजीकरण धनराशि (रुपये में)	शेष धनराशि (रुपये में)	फ्लैट/भवन में मासिक किश्तों की संख्या एवं प्रति किश्त की धनराशि	
							संख्या	धनराशि (रु. में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	22.77	34.07	4.50	2,50,000.00	5000.00	1,95,000.00	60	4095.00

प्रधानमंत्री आवास योजना–सबके लिए आवास (शहरी) के अन्तर्गत (जी+3) प्रकार के फ्लैट/भवन का

विशेष पंजीकरण–2019 (प्रथम चरण)

पंजीकरण प्रारम्भ दिनांक 09.03.2019 से दिनांक 06.05.2019 तक

क्रम सं.	प्रधानमंत्री आवास योजना (जनपद का नाम)	प्रस्तावित नग भवन	पंजीकरण हेतु प्रस्तावित नग भवनों की सं.	रेरा की पंजीकरण संख्या
1	जनपद–लखनऊ ग्राम–जाहिरपुर, कुर्सी रोड	480 नग भवन (जी+3)	192नग भवन	UPRERAPRJ692790
2	जनपद–लखनऊ (ग्राम–अनौरा)	672 नग भवन (जी+3)	192 नग भवन	UPRERAPRJ149098
3	जनपद–लखनऊ (ग्राम–कनकहा)	1344 नग भवन (जी+3)	432 नग भवन	UPRERAPRJ542529
4	ग्राम–मिरानपुर, लखनऊ	752 नग भवन (जी+3)	240 नग भवन	UPRERAPRJ109612
5	जनपद–गोण्डा	528 नग भवन (जी+3)	240 नग भवन	UPRERAPRJ375818
6	जनपद–सुल्तानपुर, लोहरामऊ	192 नग भवन (जी+3)	96 नग भवन	UPRERAPRJ-15327
7	जनपद–बहराईच में बहराईच भिन्ना मार्ग, भूमि विकास एवं गृहस्थान योजना	192 नग भवन (जी+3)	192 नग भवन	UPRERAPRJ772651
8	जनपद–उन्नाव ग्राम सिगरौसी	240 नग भवन (जी+3)	144 नग भवन	UPRERAPRJ583195
9	जनपद–हरदोई	528 नग भवन (जी+3)	192 नग भवन	UPRERAPRJ968069
10	जनपद–इटावा	192 नग भवन (जी+3)	192 नग भवन	UPRERAPRJ303513
11	जनपद–मुरादाबाद परिषद की योजना संख्या–4 सेक्टर–15	1200 नग भवन (जी+3)	384 नग भवन	UPRERAPRJ885948
12	जनपद–मुरादाबाद परिषद की योजना संख्या–4 सेक्टर–16	528 नग भवन (जी+3)	192 नग भवन	UPRERAPRJ850933
13	मण्डोला विहार गाजियाबाद सेक्टर–19	6000 नग भवन (जी+3)	1680 नग भवन	UPRERAPRJ145311
14	जनपद–मेरठ जागृति विहार योजना	480 नग भवन (जी+3)	480 नग भवन	UPRERAPRJ321319

- रेरा से संबंधित विस्तृत जानकारी हेतु www.up-rera.in पर लॉगिन करें।

पंजीकरण हेतु पात्रता

1. आवेदक भारत का नागरिक हो।
2. फ्लैटों/भवनों हेतु रू. 3,00,000.00 (रूपये तीन लाख मात्र) तक की वार्षिक आय वाले परिवार ही पात्र होंगे।
3. आवेदक को प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के भागीदारी में किफायती आवास (ए.एच.पी.) घटक के अन्तर्गत केन्द्र सरकार/सूडा/डूडा/नगर निगम/नगर पालिका में पंजीकरण कराया हो तथा पात्रता की सभी शर्तें पूर्ण करते हों।
4. पंजीकरण आवेदन प्रपत्र जमा करने की निर्धारित अन्तिम तिथि को उसकी आयु–18 वर्ष से कम न हो।
5. लाभार्थी परिवार (मुखिया) में पति–पत्नी और अविवाहित बच्चे शामिल होंगे।
6. आरक्षित/विकलांग श्रेणी के लाभार्थी को जिलाधिकारी द्वारा जाति/दिव्यांग प्रमाण–पत्र की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
7. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के भागीदारी में किफायती आवास (ए.एच.पी) घटक के अन्तर्गत केन्द्र सरकार/सूडा/डूडा में आवेदक/लाभार्थी द्वारा आवेदित आवेदन पत्र का यूनिक आई.डी. संख्या जो आवंटित हुआ है तथा आधार नम्बर पंजीकृत होना चाहिए।
8. पंजीकरण हेतु परिवार की महिला, मुखिया अथवा परिवार के पुरुष मुखिया और उसकी पत्नी के संयुक्त नाम से होना चाहिए और केवल उन मामलों में, जब परिवार में कोई वयस्क महिला सदस्य नहीं है, आवास को परिवार के पुरूष मुखिया के नाम किया जा सकता है।
9. आवेदक/लाभार्थी प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)–सबके लिए आवास परियोजना के ए.एच.पी. घटक में पंजीकृत हों।
10. अपूर्ण एवं अधूरे आवेदन–पत्र पात्रता हेतु वैध मान्य नहीं होंगे।
11. यदि आवेदक द्वारा दिया गया कोई विवरण असत्य/मिथ्या पाया जाता है, तो परिषद को उसके पंजी. करण/आवंटन एवं निबन्धन को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा तथा उसके द्वारा जमा की गयी धनराशि नियमानुसार जब्त कर ली जायेगी।

विशेष नोट

- आवेदन पत्र भरने से पूर्व इस पुस्तिका में दिए गये आवेदन पत्र भरने के लिए निर्देशों का भली–भांति अध्ययन अवश्य कर लें, ताकि आवेदन पत्र में किसी प्रकार की त्रुटि न हो सके। अधूरे एवं त्रुटिपूर्ण आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होगा।
- आवेदन यदि केन्द्र सरकार/सूडा/डूडा/नगर निगम/नगर पालिका की पात्रता सूची में नहीं पाया जाता है तो आवंटन/पंजीकृत निरस्त कर दिया जायेगा।
- पंजीकरण तथा आवंटन के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार एवं उ.प्र. सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में कोई भी प्रकार के निर्गत आदेश/दिशा–निर्देश बाध्यकारी होगें।
- प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी)–सबके लिए आवास के सम्बन्ध में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए भारत सरकार की वेबसाइट www.mohua.gov.in पर Login कर सकते हैं।
- आवेदक को आवेदन करने वाले स्थान पर सूडा/डूडा/नगर निगम, नगर पालिका में पंजीकृत होना अनिवार्य है।

पंजीकरण/चयन की नियम व शर्तें

1. पंजीकरण हेतु पंजीकरण धनराशि रू. 5000/– का बैंक ड्राफ्ट ''उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद'' के नाम जो सम्बन्धित शहर में देय हो के पक्ष में होना चाहिए।
2. पंजीकरण फार्म पूर्णरूप से भरे हुए दिनांक ....तक योजना/शहर के लिए निर्धारित सम्बन्धित बैंक में ही जमा किये जायेंगे।
3. ऐसे आवेदक जिन्होंने भारत सरकार/राज्य सरकार की किसी आवासीय योजना के अन्तर्गत अनुदान/छूट का लाभ प्राप्त करके आवास प्राप्त किया हो, ऐसे लाभार्थी पात्र नहीं होंगे।
4. आवंटन की प्रक्रिया में वे आवेदक ही सम्मिलित होंगे जिनका पंजीकरण केन्द्र सरकार/सूडा/डूडा/नगर निगम/नगर पालिका में चयनित पात्र लाभार्थियों के रूप में किया गया होगा।
5. पंजीकृत लाभार्थी का सत्यापन उसके आधार नम्बर जो केन्द्र सरकार/सूडा/डूडा/नगर निगम/नगर पालिका में पंजीकृत होंगे, के आधार पर किया जायेगा।
6. आवासों का आवंटन एसएलएसएमसी द्वारा यथा अनुमोदित पारदर्शी प्रक्रिया का अनुपाल करते हुए शासन द्वारा गठित समिति के माध्यम से किया जायेगा।
7. आवंटन प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात् आवंटन स्थल/सम्बन्धित सम्पत्ति प्रबंधक कार्यालय पर चयनित पात्र सफल लाभार्थियों का नाम प्रदर्शित किये जायेंगे।
8. पंजीकरण हेतु प्राप्त आवेदनों की संख्या उपलब्ध सम्पत्ति की संख्या से अधिक होने पर सार्वजनिक लाटरी के आधार पर आवंटन किया जायेगा। असफल आवेदकों को उनके द्वारा जमा की गयी धनराशि बिना ब्याज के परिषद द्वारा निर्धारित बैंक से एक माह में आवेदक के द्वारा अपने आवेदन में अंकित किए गये बचत बैंक खाते में R.T.G.S. के माध्यम से वापस कर दी जायेगी।
9. सामान्यतया आवंटित सम्पत्तियों का परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
10. पात्र लाभार्थियों को लाटरी की नियत तिथि, स्थान, समय की सूचना उनके पंजीकृत मोबाइल नम्बर पर एस.एम.एस. के माध्यम से तथा समाचार पत्र में भी विज्ञप्ति के माध्यम से प्रसारित करायी जायेगी।
11. यदि कोई पंजीकृत आवेदक लाटरी ड्रा की तिथि से पूर्व अपनी जमा पंजीकरण धनराशि वापस लेना चाहता है, तो उसकी लिखित सहमति के आधार पर उसका पंजीकरण आवेदन निरस्त करते हुए जमा पंजीकरण धनराशि बिना कटौती, बिना ब्याज के वापस कर दी जायेगी।
12. चयन/लाटरी के सफल आवेदकों एवं उनको आवंटित सम्पत्ति का विवरण लाटरी ड्रा के पश्चात् परिषद वेबसाइट पर यथा सम्भव उसी दिन प्रसारित कर दी जायेगी।
13. यदि कोई आवेदक लाटरी में चयनित होने के बाद, परन्तु प्रदेशन–पत्र में निर्धारित धनराशि जमा करने के अन्तिम तिथि से पूर्व पंजीकरण निरस्त करने का आवेदन करता है, तो पंजीकरण धनराशि में से 20 प्रतिशत की कटौती करते हुए अवशेष धनराशि बिना ब्याज के वापस की जायेगी। प्रदेशन पत्र जारी होने के 3 माह पश्चात पंजीकरण/आवंटन निरस्त कराने पर पंजीकरण धनराशि की 50 प्रतिशत कटौती करके शेष धनराशि वापस कर दी जायेगी।
14. भारत सरकार/राज्य सरकार/स्थानीय निकाय द्वारा आवंटित सम्पत्ति पर आध्यारोपित कर यथा, जी.एस.टी., गृहकर, जलकर आदि का भुगतान आवंटी को स्वयं वहन करना होगा।
15. आवेदक के पक्ष में फ्लैट/भवन आवंटन के शेष धनराशि रु. 1,95,000/– (एक लाख पच्चानवे हजार मात्र) पर 9.50 प्रतिशत ब्याज सहित 05 वर्ष (60 मासिक किश्तों) का निर्धारण किया जायेगा। किश्तों की धनराशि ससमय जमा न करने पर आवंटी को 9.50 प्रतिशत साधारण ब्याज के साथ–साथ 02 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज के रूप में देय होगी।
16. आवंटी द्वारा बकाया धनराशि का भुगतान प्रदेशन–पत्र की तिथि से 03 माह में कर दिया जाता है, तो कोई ब्याज देय नहीं होगा।
17. उ.प्र. भू–सम्पदा (विनियम एवं विकास) अधिनियम की शर्तों के अनुसार अनुबन्ध निष्पादन किया जायेगा। चयन में सफल आवेदकों को आवंटित सम्पत्ति का आवंटन/मांग पत्र निर्गमन से पूर्व भू–सम्पदा (विनियम एवं विकास) अधिनियम–2016 के अधीन विहित प्रारूप पर विक्रय करार निष्पादित कराना होगा।
18. फ्लैट/भवन के कब्जा हेतु नियमानुसार किश्त किराया किरायेदारी अनुबन्ध (रुपया 100 के स्टाम्प पेपर पर) निष्पादित कराते हुए, कब्जा सम्बन्धी समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करने पर फ्लैट/भवन का कब्जा दिया जायेगा।
19. आवंटी द्वारा नियमानुसार फ्लैट/भवन का मूल्य व अन्य समस्त देयक परिषद खाते में भुगतान के उपरान्त, कर एवं निबन्धन विभाग द्वारा समय–समय पर जारी शासनादेश के अनुसार रु. 500/– स्टाम्प पेपर व रजिस्ट्री शुल्क की अदायगी के पश्चात् विक्रय विलेख/सेल डीड निष्पादन की कार्यवाही की जायेगी।